राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.3(1357)नविवि / 3 / 2013 दिनांक 7 OCT 2014

परिपत्र

ऐसे क्षेत्रों के प्रकरण, जो प्राधिकरण एवं न्यास के गठन की अधिसूचना से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र थे तथा संबंधित प्राधिकृत अधिकारी (जिला कलक्टर) के समक्ष भूमि रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत किये जा चुके थे, परन्तु अन्तिम आदेश जारी नहीं हुये तथा उक्त अधिसूचना जारी होने के कारण जिला कलक्टर द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु लम्बित प्रकरण संबंधित न्यास / प्राधिकरण को प्रेषित कर दिये गये है।

ऐसे प्रकरणों के अन्तिम निस्तारण के संबधं में यह प्रश्न उठाया गया है कि भूमि के संपरिवर्तन हेतु ग्रामीण क्षेत्र के प्रकरण, जो जिला कलक्टर के यहां प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी होने से पूर्व आवेदित हुऐ है, तो उनकी शेष कार्यवाही जिला कलक्टर के स्तर पर ही पूर्ण की जावें अथवा प्राधिकरण के स्तर पर।

इस संबंध में निम्न निर्देश जारी किये जाते है :–

1. जिन मामलों में जिला कलक्टर द्वारा भू–रूपान्तरण का निर्णय लेने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और नगरीय निकाय द्वारा मास्टर प्लान प्रभावी नहीं किया गया है, उन सभी मामलों में समस्त अग्रिम कार्यवाही जिला कलक्टर द्वारा की जायेगी।
2. जिन मामलों में जिला कलक्टर अथवा उप खण्ड अधिकारी / तहसीलदार द्वारा भू–रूपान्तरण आदेश जारी होने के उपरान्त आदेशों की अनुपालना में आंशिक अथवा पूर्ण राशि जमा हो चुकी है, उनमें भी अग्रिम कार्यवाही सम्बन्धित भू–रूपान्तरण अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जायेगी।
3. जिन मामलों में जिला कलक्टर के यहां आवेदन प्रस्तुत किया गया है और भू–रूपान्तरण की राजकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है एवं न ही कोई राशि जमा हुई है और संबंधित क्षेत्र प्रक्रिया के दौरान नगरीय निकाय में अधिसूचित कर दिया गया है, तो समस्त अग्रिम कार्यवाही संबंधित नगरीय निकाय द्वारा की जायेगी।

(अशोक जैन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. संयुक्त शासन सचिव—प्रथम/तृतीय एवं उप शासन सचिव—द्वितीय, नगरीय विकास विभाग।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव नगरीय विकास विभाग को उक्त आदेश विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करवाये जाने हेतु।
5. सचिव, समस्त नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक एवं अन्य अधिकारीगण नगरीय विकास विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव—तृतीय